चल-अचल सम्पत्ति और पेंशन-एरियर में बंटवारे के अनुसार मेरा हिस्सा नहीं देने और जान से मारने की बार-बार धमकी दिये जाने को लेकर मेरे बड़े भाई श्री शिवेश चन्द्र ठाकुर के विरुद्ध वीरपुर, सुपौल, बिहार थाने में दर्ज़ एफआईआर (संख्या -332/22) के मामले में कोई कार्रवाई करने के बजाय स्थानीय पुलिस की आरोपी के साथ मिलीभगत कर साजिशपूर्वक लगातार शिकायतकर्ता को ही प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में।

1 message

Rajesh Chandra <rajchandr@gmail.com> Fri, Aug 4, 2023 at 12:47 AM
To: SP Supaul Manoj Kumar IPS <sp-supaul-bih@nic.in>
Cc: secy.president@rb.nic.in, US Petition RB <us.petitions@rb.nic.in>, speakerloksabha@sansad.nic.in, supremecourt@nic.in, rg.pathc@indiancourts.nic.in, Chief Secretary Bihar <cs-bihar@nic.in>, dgp-bih@nic.in

सेवा में,

श्रीमान शैशव यादव जी,
पुलिस अधीक्षक महोदय, सुपौल, बिहार।

महाशय,

निवेदन है कि मैंने विगत 6 जून, 2023 को आपसे मिल कर लिखित आवेदन द्वारा और उसके पश्चात 14 जुलाई, 2023 को जीमेल, वाट्सएप और दूरभाष के माध्यम से भी आपको यह सूचना दी थी कि मेरे बड़े भाई श्री शिवेश चन्द्र ठाकुर की तानाशाही और उनके द्वारा चल-अचल सम्पत्ति एवं पेंशन-एरियर में मेरा हक-हिस्सा नहीं देने के विरुद्ध वीरपुर थाने में दर्ज़ एफआईआर संख्या -332/22 पर राज्य पुलिस के उच्च अधिकारियों, माननीय राष्ट्रपति जी के अवर सचिव एवं मुख्य सचिव, बिहार सरकार द्वारा बार-बार कहने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गयी और इसका कारण यह है कि वर्तमान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, वीरपुर तथा पूर्व थाना प्रभारी का मेरे रसूखदार और दौलतमंद बड़े भाई के साथ अत्यंत प्रेमपूर्ण और घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। आरोपी के साथ स्थानीय पुलिस अधिकारियों की इस मिलीभगत की शिकायत पूर्व में भी आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय तथा राज्य के वरीय पुलिस अधिकारियों के समक्ष शिकायतकर्ता द्वारा कई बार की जा चुकी है।

ज्ञातव्य है कि मेरे एफआईआर के मामले में पूर्व थाना प्रभारी, एवं वर्तमान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की अब तक की भूमिका भारतीय न्याय-व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली को ही कठघरे में खड़ा करती है और एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करती है कि किस प्रकार इस देश में गरीब और आम आदमी के लिये न्यूनतम न्याय पाना भी लगातार असंभव होता जा रहा है। पहले शिकायतकर्ता से मिलने और बात करने तक से मना करने वाले और मिलने पर बेहद अशिष्ट एवं अभद्रतापूर्ण व्यवहार का प्रदर्शन करने वाले श्रीमान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, वीरपुर ने मेरे आरोपी बड़े भाई और अपने खास आदमी को मदद पहुंचाने तथा शिकायतकर्ता का दमन करने के लिये विगत 14 जुलाई, 2023 को एक नोटिस भेज कर मुझे कार्यालय में हाज़िर होने के लिये कहा। इस नोटिस को मैंने यह कहते हुए आदरपूर्वक अस्वीकार कर दिया था कि शिकायतकर्ता को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, वीरपुर से निष्पक्षता और न्याय की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है।

मैंने नोटिस लाने वाले अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, वीरपुर के निजी पत्रवाहकों से कहा था कि इस मामले में केवल आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय जब भी कहेंगे, मैं उनके कार्यालय में उपस्थित हो जाऊंगा। मैंने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, वीरपुर द्वारा मेरे आरोपी बड़े भाई और अपने खास आदमी की मदद करने हेतु पीड़ित और शिकायतकर्ता को ही धमकाने और प्रताड़ित करने के लगातार प्रयासों की लिखित शिकायत भी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से की थी। बौखलाहट में मुझे सबक सिखाने के लिये मेरे बड़े भाई, कुछ पड़ोसियों और स्थानीय पुलिस ने मिलकर साज़िशाना तरीक़े से अब मेरी मां श्रीमती सुगंधा देवी को डरा-धमका कर अथवा बरगला कर उनसे मेरे विरुद्ध एक झूठा आवेदन भी लिखवा लिया है, जिसकी जानकारी मुझे आज शाम को लगभग 6.30 बजे तब मिली, जब थाना वीरपुर से पीएसआइ दीपक कुमार मुझसे पूछताछ करने मेरे घर पर आये। पीएसआइ दीपक कुमार के साथ बिना वर्दी वाला एक सन्दिग्ध व्यक्ति भी मौज़ूद था, जो मुझे लगातार धमका रहा था कि अपने बड़े भाई के ख़िलाफ़ दर्ज़ एफआईआर वापस ले लो, नहीं तो पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। जब इसकी शिकायत करने के लिये मैंने 6.45 बजे आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के मोबाइल नंबर पर सम्पर्क किया तो श्रीमान डीएसपी महोदय, मुख्यालय से बात हुई, जिन्हें मैंने इस बात की पूरी जानकारी दी। ज्ञात हो कि बड़े भाई के विरुद्ध मेरे एफआईआर के मामले में भी

पीएसआइ दीपक कुमार ही जांचकर्ता अधिकारी थे, जिन्होंने बगैर किसी जांच के झूठी चार्जशीट तैयार की, और सभी गंभीर और ग़ैर ज़मानती धाराएं हटा कर आरोपी की ज़मानत के लिये रास्ता साफ़ किया था।

ज्ञातव्य है कि मेरे दिवंगत बाबूजी स्वर्गीय प्रोफेसर शारदा नन्द ठाकुर से पुरानी शत्रुता रखने वाले अत्यंत दुष्ट प्रवृत्ति के हमारे कुछ पड़ोसियों और स्थानीय पुलिस अधिकारियों की मदद लेकर मेरे रसूखदार, दबंग तथा दौलतमंद बड़े भाई लगातार मुझे परेशान और माता-पिता की चल-अचल सम्पत्ति से मुझे बेदख़ल करने की साज़िश रच रहे हैं। 15 वर्षों तक मेरे घर से बाहर रहने के दौरान इन्हीं दुष्ट पड़ोसियों की मदद लेकर मेरे बड़े भाई ने पिताजी को बंधक बना रखा था और 2005 से लेकर 2020 के अंत तक उनका सारा पेंशन-एरियर भी लूटते रहे। बाबूजी ने इस बात की शिकायत 15 जून, 2021 को पूर्व पुलिस अधीक्षक महोदय, सुपौल श्री मनोज कुमार जी से मिल कर स्वयं की थी। उन्होंने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष यह आशंका जताई थी कि उनका धोखेबाज़ और विश्वासघाती बड़ा बेटा सारी सम्पत्ति और पेंशन-एरियर हड़पने के लिये उनकी और उनके मंझले बेटे की हत्या भी कर सकता है। 2020 के अंत में दिल्ली से घर लौटने के बाद मेरे द्वारा बाबूजी के उत्पीड़न का विरोध करने और उनका अंतिम सहारा बनने के बाद से ही मेरे बड़े भाई और कुछ पड़ोसी मिल कर मुझे घर से भगाने के लिये लगातार साजिश करते आ रहे हैं। मेरे हिस्से की सम्पत्ति और पेंशन-एरियर के लालच में मेरा छोटा भाई ज्ञानेश चन्द्र ठाकुर भी बड़े भाई का खुलकर साथ दे रहा है।

अत: श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, सुपौल से यह प्रार्थना है कि आपराधिक प्रवृत्ति के मेरे दबंग और दौलतमंद बड़े भाई द्वारा हमारे दो-तीन अत्यंत दुष्ट पड़ोसियों एवं वीरपुर अनुमंडल के पुलिस अधिकारियों को साथ लेकर मेरे हिस्से की सारी सम्पत्ति और पेंशन-एरियर हड़पने के लिये की जा रही घिनौनी साज़िशों पर रोक लगाने हेतु अविलंब समुचित कार्रवाई की जाये। 15 अक्टूबर, 2022 को एफआईआर दर्ज़ कराये जाने के बाद से आज तक स्थानीय पुलिस प्रशासन के लगातार नकारात्मक रवैये एवं कर्त्तव्यपालन में लापरवाही के कारण ही मेरे बड़े भाई का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वे कभी भी मुझे और मेरे परिवार पर जानलेवा हमला करवा सकते हैं और हमारी जान तक ले सकते हैं, जिसकी धमकी वे दर्जनों बार दे चुके हैं और जिसकी भविष्यवाणी हमारे दिवंगत बाबूजी भी कर चुके हैं।

निवेदन है कि 15 अगस्त, 2005 को माता-पिता द्वारा गवाहों के समक्ष संयुक्त वसीयत के आधार पर किये गये बंटवारे के बाद विगत 18 वर्षों से लगातार मेरे बड़े भाई द्वारा लूटी गयी पिताजी के पेंशन-एरियर की एक करोड़ रुपये से भी अधिक राशि में से मेरा हिस्सा, बड़े भाई द्वारा मेरे हिस्से की मौजा कपूरा, लालपुर की 4.50 एकड़ जमीन को चोरी से 13 वर्षों तक लीज़ पर देने से प्राप्त लगभग 6.50 लाख रुपये की राशि तथा बसंतपुर, वार्ड संख्या -8 स्थित मेरे हिस्से की वासडीह से बड़े भाई द्वारा चुरा कर काटे और बेचे गये लगभग 25 पेड़ों के बदले मिली लगभग 4 लाख रुपये की राशि मुझे बड़े भाई से वापस दिलायी जाये। इसके अलावा मृत्यु से पूर्व पिताजी द्वारा छोड़े गये 4.64 लाख रुपये के कर्ज़ के भुगतान की राशि भी बड़े भाई से वसूल की जाये, जिसे पिताजी के बकाये पेंशन से अदा किया जाना था, लेकिन बड़े भाई ने 31 मई, 2022 को पिताजी की मृत्यु के बाद गलत तरीके से उनका सारा पेंशन-एरियर उठा लिया है और वे पिताजी का क़र्ज़ भी नहीं चुका रहे हैं, जिससे एक आदर्श एवं कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक के रूप में पिताजी की मेहनत से अर्जित जीवन भर की प्रतिष्ठा को गहरी क्षति पहुंच रही है।

इसके लिये मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा।

प्रतिलिपि :

1. अवर सचिव महोदय, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत।
2. मुख्य न्यायाधीश महोदय, सर्वोच्च न्यायालय, भारत।
3. सभापति महोदय, लोकसभा।
4. मुख्य न्यायाधीश महोदय, पटना उच्च न्यायालय, बिहार।
5. मुख्य सचिव महोदय, बिहार सरकार।
6. पुलिस महानिदेशक महोदय, बिहार।

विश्वासभाजन,

राजेश चन्द्र ठाकुर,
वरिष्ठ कवि, संस्कृतिकर्मी एवं सामाजिक कार्यकर्ता,
बसंतपुर, वार्ड संख्या -8,
थाना -वीरपुर, सुपौल, बिहार।
मो.- 8368225930.
दिनांक- 03 अगस्त, 2023.